भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4413
बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

छत्तीसगढ़ में बायोगैस संयंत्र

4413. श्री भोजराज नागः

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में स्थापित बायोगैस संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) छत्तीसगढ़ में बायोगैस उत्पादन बढ़ाने और बायोगैस संयंत्रों में नई तकनीक लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क): भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

(i) **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)** स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के लिए बायोगैस कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय वितीय सहायता (सीएफए), लघु बायोगैस संयंत्रों (1 से 25 घन मीटर प्रतिदिन संयंत्र क्षमता) के लिए संयंत्र के आकार के आधार पर प्रति संयंत्र 9,800/-रु. से 70,400/- रु. की श्रेणी में प्रदान की जा रही है; और

(ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 के तहत व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में सहयोग कर रहा है।

(ख): छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 665 लघु बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष-वार स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	**बायोगैस कार्यक्रम**	**एमजीनरेगा (MGNREGA)**
2022-23	118	0
2023-24	400	0
2024-25	146	1
कुल	**664**	**1**

(ग): छत्तीसगढ़ राज्य में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में लघु बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का वास्तविक लक्ष्य का आवंटन निम्नानुसार है:

वर्ष	**बायोगैस कार्यक्रम**
2022-23	800
2023-24	1650
2024-25	413
कुल	**2863**

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए उच्चतर सीएफए का प्रावधान;

(iii) बायोगैस स्लरी फिल्टर यूनिटों और सैनिटरी शौचालय से जुड़े लघु बायोगैस संयंत्र के लिए अतिरिक्त सीएफए का प्रावधान

(iv) बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों (बीडीटीसी) के माध्यम से बायोगैस उपयोगकर्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रावधान है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, छत्तीसगढ़ राज्य में बायोगैस प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित बीडीटीसी है;

(v) लघु बायोगैस संयंत्र के पोर्टेबल फ्लेक्सी मॉडल सहित बेहतर डिजाइनों की शुरूआत करना; और

(vi) निर्माण एवं चालू करने (कमीशनिंग) के पर्यवेक्षण के लिए बायोगैस टर्न-की जॉब शुल्क के रूप में अलग सीएफए का प्रावधान और बायोगैस संयंत्रों के परेशानी मुक्त परिचालन और रखरखाव के लिए 5 वर्ष की मुफ्त वारंटी प्रदान करना; आदि।

****